भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 5 रु. COURT

185 10

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

===

प्रकरण क्रमांक 168- I-17 सन्

श्री ______ गणेश कुशवाहा तनय स्व. श्री मुलुवा कुशवाहा
द्वारा आज दि. 2-1-17 निवासी ग्राम कैड़ी तहसील व जिला छतरपुर ---आवेदक
प्रस्तुत

बनाम

क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-1-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. राजकिशोर तनय रामकृपाल पटैरिया निवासी
वार्ड नं. 18 छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर

2. महादेव
3. जमुना
4. बृजलाल — पुत्रगण स्व. मुलुवा कुशवाहा
5. विनोद

समस्त निवासीगण ग्राम कैड़ी तहसील व जिला छतरपुर ---अनावेदकगण
6. शासन मध्यप्रदेश

S.L. Dharpure
9/1/17

निगरानी अतंर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 । विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अनु० अधिकारी महोदय, छतरपुर जिला छतरपुर के प्रक्र. 37/अपील/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-12-2016 के विरूद्ध ।

=================================

महोदय,

उक्त आवेदक सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते है :-

(1) यह कि ग्राम कैड़ी तहसील व जिला छतरपुर म०प्र० की भूमि खसरा नं. 1143 रकवा 0.060 है० की भूमि के नामांतरण विक्रय पत्र क्र. 1619 दिनांक 30-08-2001 के आधार पर अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा नामांतरण हेतु एक आवेदन अति० तहसीलदार महोदय, छतरपुर के यहाँ प्रस्तुत किया । जो प्रकरण क्रमांक 64/अ-6/2015-16 पंजीबद्ध हुआ । जिसमें दिनांक 29-02-2016 को अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर दिया ।

(2) यह कि उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, छतरपुर के यहाँ अपील प्रस्तुत की ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-168-एक/2017 जिला छतरपुर गनेश विरूद्ध राजकिशोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 37/अपील/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-12-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 09-01-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का	

निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 18.1.19
सदस्य